



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध शस्त्र सहित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26.11.2022

पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में सघन चेकिंग एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त दिये गये निर्देश के क्रम में क्षेत्राधिकारी बिसवां के निकट पर्यवेक्षण में थाना रेउसा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त अंकित यादव पुत्र अंबिका निवासी दूल्हा मथाना रेउसा सीतापुर को 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु0अ0सं0 439/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 439/22 धारा 25(1बी) आर्म्स एक्ट थाना रेउसा जनपद सीतापुर।

बरामदगी:- 01अदद अवैध तमंचा व 01अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

अभियुक्त का नाम/पता:- अंकित यादव पुत्र अंबिका निवासी दूल्हा मथाना रेउसा सीतापुर।

पुलिस टीम थाना रेउसा-

- 1.उ0नि0 अमित दूबे
- 2.का0 राजवीर सिंह
- 3.का0 रवि पाठक

